

Office Of Joint Director/Fire Officer GWALIOR **GWALIOR Division, GWALIOR** Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट Fire Cell

फायर प्लान अप्रुवल पत्र Fire Plan Approval Certificate

6100010127/FNOC/COL/2023/6120 जावक क्रमांक / Dispatch Number .

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 29, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 31-May-23

: SHRI GURUKUL HR. SEC. SCHOOL आवेदक का नाम / Applicant Name

आवेदक का पता / Applicant Address : VIKAS SONI, SARASWATI VIHAR COLONY GUNA 473001

Fire Plan Approval अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC :

अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन

ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 8 (मीटर में / Meter)

भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 1394 (Sq.Mtr)

संपत्ति का पता / Property Address : NEW PH.NO.51 WARD NO. 10, SARASWATI VIHAR COLONY

अग्नि प्राधिकारी द्वारा अन्मोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100010127 भवन हेत् फायर प्लान अप्रुवल प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

ऊपर दिए गए आवेदन विवरण के अनुसार एवं आवेदन के साथ आवेदित भवन/बह्मंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेन्ट से तैयार हस्ताक्षर (सहित) प्रस्त्त किया गया है तथा अग्निस्रक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट/ इंजिनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अन्सार आवेदक को निम्नालिखित प्रावधान एवं शर्तो का पालन करना आवश्यक होगा :-

(1) निम्न लिखित अग्निशमन स्रक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-

Access



Office Of Joint Director/Fire Officer GWALIOR GWALIOR Division , GWALIOR Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number . : 6	6100010127/FNO	C/COL/2023/6120	
आवेदन की तिथि / Application Date : ।	Mar 29, 2023	जावक की तिथि / Dispatch Date : 31-May-23	
आवेदक का नाम / Applicant Name	SHRI GURUKUL	HR. SEC. SCHOOL	
2. Wet Riser.			
3. Down Comer.			
4. Hose Reel.			
5. Automatic Sprinkler System.			
6. Yard Hydrant.			
7. U.G. Tank with Draw off Connection.			
8. Terrace Tanks.			
9. Fire Pump.			
10. Terrace Pump.			
11. First Aid Fire Fighting Appliances.			
12. Pressurization System.			
13. Auto Detection System.			
14. Manual operated Electrical Fire Alarm Syst	tem.		
15. P.A. System with talk back facility.			
16. Emergency Light.			



Office Of Joint Director/Fire Officer GWALIOR GWALIOR Division , GWALIOR Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र Fire Plan Approval Certificate

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 29, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 31-May-23 आवेदक का नाम / Applicant Name : SHRII GURUKUL HR. SEC. SCHOOL 19. Means of Escape. 20. Compartmentation. 21. MCB/ELCB. 22. Fireman Switch in Lift. 23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch. 24. Refuge Area. 25. Stried and Branch. 26. Refuge Area. 27. Stried and Refugit में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल विल्डिंग कोड-2016 के भ्राग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को तंत्रम फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एड एवं अन्य आवश्यक कायर फायटिंग (नेशनल विल्डिंग कोड-2016 के भ्राग 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निधीरित आई.एस. मानकों का पालन करना अग्निवार्य होगा। 37. अग्रवेदक को स्वीकृत अभिन्यान एवं भवन अनुशा में निधीरित शर्त का पालन करना अग्निवार्य होगा।	जावक क्रमांक / Dispatch Number . : 6	100010127/FNOC/COL/2023/6120
19. Means of Escape. 20. Compartmentation. 21. MCB/ELCB. 22. Fireman Switch in Lift. 23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch. 24. Refuge Area. 29. उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को तंत्रग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार, समस्त फस्टल एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।		
22. Fireman Switch in Lift. 23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch. 24. Refuge Area. 25. 3परोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को तंलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायरिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।	The state of the s	
22. Fireman Switch in Lift. 23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch. 24. Refuge Area. 25. 3परोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को तंलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायरिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।		
22. Fireman Switch in Lift. 23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch. 24. Refuge Area. 25. 3परोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को तंलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायरिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।		
22. Fireman Switch in Lift. 23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch. 24. Refuge Area. 25. 3परोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को तंलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायरिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।	20. Compartmentation.	
22. Fireman Switch in Lift. 23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch. 24. Refuge Area. 2) उपरोक्त तिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को तंलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।	on paramentation.	
22. Fireman Switch in Lift. 23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch. 24. Refuge Area. 2) उपरोक्त तिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को तंलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।		
22. Fireman Switch in Lift. 23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch. 24. Refuge Area. 2) उपरोक्त तिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को तंलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।		
23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch. 24. Refuge Area. 2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।	21. MCB/ELCB.	
23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch. 24. Refuge Area. 2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।		
23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch. 24. Refuge Area. 2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।		
24. Refuge Area. 2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को तंलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।	22. Fireman Switch in Lift.	
24. Refuge Area. 2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को तंलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।		
24. Refuge Area. 2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को तंलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।		
2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।	23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.	
2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।		
2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।		
2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।	24. Refuge Area	
नंलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग ४ अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।		
नंलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग ४ अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।		
नंलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग ४ अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।	2)	
4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।		그는 그는 사람들이 살아 가는 사람들이 되어 가장 하는 것이 되었다. 그는 사람들은 사람들이 되었다면 하는 것이 되었다면 하는 것이 없었다. 그렇게 되었다면 하는 것이 없는 것이 없는 것이다. 그렇게 되었다면 하는 것이 없는 것이다면 하는데 없다면 하는데
3) थावेटक को प्रविक्त अधिन्यान एवं शवन अनुसा में निर्धापित शर्मे का एएएन काना अनुसार्थ होगा और स्वीकृति से खिल्ल निर्फाण/सम्बोध की		
3) थातेरक को प्रतिकार अधिन्यान एवं शतन अनुसा में निर्धापित शर्मे का एएएन काना अनिसर्प होगा और रजीकरि से धिन्त निर्धाण/सम्बोध की		
3) ਘਰੇਟਕ ਕੀ ਸ਼੍ਰੀਕਰ ਮੁਉਦਗਰ ਸਰੂੰ ਬਰਤ ਮੁਤਰਾ ਸੇ ਰਿਖਿਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਕਾ ਸ਼ਾਹਤ ਕਾਤਾ ਮੁਤਿਕਾਂ ਕੇਸਾ ਸੀ। ਸੀਵਿਤ ਹੈ ਉਸਤੇ ਵਿਸ਼ੰਸ਼ਾ/ਸਾਸੀਸ਼ ਵੀ		
ा जातरक का स्वाकत जामस्यान रेत बतेन येच्या च वितारित राता का नावन करना यानवात होगा यार स्वाकात स ामस्त विमाण/३५वाम का	3) आवेदक को स्वीकत अभिन्यान एवं भवन अनजा में निर्धारि	त शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकित से भिन्न निर्माण/उपयोग की

सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुजा भवन अनुजा में निर्धारित अविध या 3 माह की अविध हेतु प्रभावशील रहेगी । यदि निर्धारित अविध में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।



Office Of Joint Director/Fire Officer GWALIOR GWALIOR Division , GWALIOR Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number . : 6100010127/FNOC/COL/2023/6120

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 29, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 31-May-23

आवेदक का नाम / Applicant Name : SHRI GURUKUL HR. SEC. SCHOOL

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तो एवं प्रावधानों के तहत "फायर प्लान अप्रूवल पत्र" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तद्नुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

> Savita Pradhan Gaur

Digitally signed by Savita Pradhan

Gaur

Date: 2023.05.31 18:41:32 +05'30'

Joint Director/Fire Officer GWALIOR

GWALIOR Division , GWALIOR

Madhya Pradesh